राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(7)नविवि / 3 / 2009पार्ट–III   जयपुर दिनांक 04 MAY 2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 एवं ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2013 के विनियम 16(घ) में निम्नांकित प्रावधान है :–

विनियम 16(घ) :– " पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) / आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र (Partly Completion Certificate) प्राप्त करने के उपरान्त ही पंजीयन विभाग द्वारा ऐसे भवन के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का पंजीयन किया जा सकेगा।"

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 एवं ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2013 के विनियम 16(घ) के अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) / आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र (Partly Completion Certificate) जारी करने के उपरान्त ही पंजीयन विभाग द्वारा ऐसे भवन के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का पंजीयन किये जाने का प्रावधान पंजीयन अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त विनियम 16(घ) की पालना के अभाव में सम्पत्तियों का पंजीयन नहीं होने के कारण आम–जन को कठिनाई होने के साथ ही राज्य के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस कारण उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 (संशोधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 एवं ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम, 2013 के विनियम 16(घ) को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित / विलोपित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

3/5/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक, राजस्थान सरकार, अजमेर।
6. उप महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
7. जिला कलक्टर एवं पंजीयक एवं मुद्रांक, उदयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

03/5/17

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Bml D.S